ऑन लाईन नं. GCMS 2022/99

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 18/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 417, होमलैण्ड , सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर।

मैसर्स :– नैशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेन्ट, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 25.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2021 को दोपहर बाद 3.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं मालिक श्री रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 417, होमलैण्ड , सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर, मैसर्स नैशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेन्ट, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 417, होमलैण्ड , सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में 500–500 ग्राम के **धनिया पावडर** के 08 पोलीपैक विक्रय हेतु रखी थी। शुद्वता की जांच हेतु उसमें से 04 पोली पैक नमूने वास्ते लिये एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात 500–500 ग्राम के **धनिया पावडर** के 08 पोलीपैक में से 4 पोली पैक जांच हेतु लिये , जिसके पेटे 280/–रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने 500–500 ग्राम के **धनिया पावडर** के 08 पोलीपैक में से 4 पोली पैक के नमूनें वास्ते लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1249** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1249** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1249 धनिया पावडर** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम बिश्नोई ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/461/एक्ट/2021/449 दिनांक 15.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1249 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रणजीत सिंह बिश्नोई पुत्र श्री केवलराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 417, होमलैण्ड , सूरतगढ रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Dhania Powder** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी को एक नोटिस क्रमांक:रीडर/22/623 दिनांक 22.04.2022 को इस आश्य का वर्णित किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा सैकिण्ड एफएफएसए 2006 सपठित धारा नियम व विनियम के अन्तर्गत वर्णित किया गया कि दिनांक 27.10.2021 को दोपहर बाद 3.00 बजे मैसर्स नेशनल हाईवे ग्रीन, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर पहुंचे। श्री रणजीत सिंह विश्नोई विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को विक्रय हेतु बताया। आपकी दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान में धनिया पाउडर आमजन के विक्रय हेतु 500–500 ग्राम के 8 पॉली पैक विक्रय हेतु रखे थे, जो बाद जांच अमाणक **Turmeric Starch & Misbranded Food** फुड पाया गया। इस प्रकार आप द्वारा अमाणक धनिया पाउडर का विक्रय करके उपरोक्त धारा का उल्लधन किया गया है जबकि प्रार्थी रणजीत सिंह की कोई दुकान नहीं है। गत काफी वर्षो से नैशनल ग्रीन हाईवे रेस्टोरेन्ट के नाम से संचालन किया जा रहा है व किसी प्रकार का कोई विक्रय इस रेस्टोरेन्ट में नहीं किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है। लक्ष्मीकांत गुप्ता नाम का व्यक्ति व उसके पारिवारिक मेरे रेस्टोरेन्ट में खाना खाने आये थे। खाने का बिल मांगने पर अपने आपको खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताया लेकिन प्रार्थी द्वारा बिल का भुगतान करने हेतु कहा गया जिस पर हमारी कहासुनी हुई व अगले रोज दिनांक 27.10.2021 को उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी नामित व्यक्ति लक्ष्मीकांत गुप्ता मेरे रेस्टोरेन्ट में आया व मेरी रसोई में इधर उधर हाथ मारने लगा व जांच करने लगा। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार कोई विरोध नहीं किया गया। रसोई में पड़े एक बड़े कार्टून में हल्दी, मिर्च, धनिया के पैकेट उठरा लिये जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.10.2021 को सिंगल ट्रेडिंग कम्पनी , 35/2 तहबाजार, पुरानी धानमण्डी , श्रीगंगानगर से जरिये बिल धनिया 10 किलो खरीद किया गया था जो प्रार्थी ने कवल अपने रेस्टोरेन्ट में सब्जियों में डालने के प्रयोजन से खरीद किया हुआ था, को जबरदस्ती विक्रय का बताते हुए अपने साथ ले गया और उपरोक्त प्रकरण रंजिशवंश श्रीमान न्यायालय में पेश किया। असल बिल सलंग्न है। प्रार्थी रेस्टोरेन्ट का संचालन करता है जिसका राज्य सरकार से लाईसेन्स प्राप्त किया हुआ है जिसका नम्बर 12217024000354 है व प्रार्थी आमजन को भोजन उपलब्ध करवाता है ना कि प्रार्थी किसी प्रकार की कोई दुकान का संचालन करता है। अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकान्त गुप्ता अपनी पदीय शक्तियों का दुरूप्योग करता था जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक : निदे./खा सुरक्षा/2022/336 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा प्रमाणित माना कि गंभीर शिकायतें प्राप्त होने के कारण आपको प्रदत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां एतद्द्वारा प्रत्याहारित की जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मीकान्त गुप्ता को दिनांक 17.01.2014 को पुलिस हिरासत में रहने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित भी किया गया जिसके कारण उन्हें राज्य सरकार के आदेशों से भरतपुर जैसलमेर आदि जगहों पर सेवायें देनी पड़ी। लक्ष्मीकान्त गुप्ता उपरोक्त कार्यालय में एक लैब टैक्नीशियन के पद पर कार्यरत है जिनका आदेश अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः–ई–33/लैब./टैक्नी./नियु/95/891 दिनांक 18.09.1995 द्वारा की गई है। राज्य सरकार के आदेश सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 में अंकित किया गयाहै कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के भारसाधक के रूप में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो उपखण्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा जबकि उपरोक्त नामित व्यक्ति लक्ष्मीकांन्त गुप्ता केवल लैब टैक्नीशियन है जिसको प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट की रसोई में अनाधिकृत प्रवेश कर वहां पड़ा धनियां रंजिशवंश उठाकर उपरोक्त नोटिस/ प्रकरण मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूठा दर्ज करवाया है । प्रार्थी के विरूद्व इस प्रकरण से पूर्व कभी भी कोई प्ररकण/नोटिस दर्ज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व उक्त नोटिस की कार्यवाही को ड्रॉप फरमायें जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Dhania Powder** का सैम्पल **के–1249** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/461/एक्ट/2021/449 दिनांक 15.11.2021 द्वारा **Turmeric Starch & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्त अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है दिनांक 27.10.2021 को दोपहर बाद 3.00 बजे मैसर्स नेशनल हाईवे ग्रीन, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर पहुंचे। श्री रणजीत सिंह बिश्नोई विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को विक्रय हेतु बताया। आपकी दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान में धनिया पाउडर आमजन के विक्रय हेतु 500–500 ग्राम के 8 पॉली पैक विक्रय हेतु रखे थे, जो बाद जांच अमाणक **Turmeric Starch & Misbranded Food** फुड पाया गया। इस प्रकार आप द्वारा अमाणक धनिया पाउडर का विक्रय करके उपरोक्त धारा का उल्लधन किया गया है जबकि प्रार्थी रणजीत सिंह की कोई दुकान नहीं है। गत काफी वर्षो से नैशनल ग्रीन हाईवे रेस्टोरेन्ट के नाम से संचालन किया जा रहा है व किसी प्रकार का कोई विक्रय इस रेस्टोरेन्ट में नहीं किया जाता है। लक्ष्मीकांत गुप्ता नाम का व्यक्ति व उसके पारिवारिक मेरे रेस्टोरेन्ट में खाना खाने आये थे। खाने का बिल मांगने पर अपने आपको खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताया लेकिन प्रार्थी द्वारा बिल का भुगतान करने हेतु कहा गया जिस पर हमारी कहासुनी हुई व अगले रोज दिनांक 27.10.2021 को उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी नामित व्यक्ति लक्ष्मीकांत गुप्ता मेरे रेस्टोरेन्ट में आया व मेरी रसोई में इधर उधर हाथ मारने लगा व जांच करने लगा। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार कोई विरोध नहीं किया गया। रसोई में पड़े एक बड़े कार्टून में हल्दी, मिर्च, धनिया के पैकेट उठरा लिये जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.10.2021 को सिंगल ट्रेडिंग कम्पनी , 35/2 तहबाजार, पुरानी धानमण्डी , श्रीगंगानगर से जरिये बिल धनिया 10 किलो खरीद किया गया था जो प्रार्थी ने कवल अपने रेस्टोरेन्ट में सब्जियों में डालने के प्रयोजन से खरीद किया हुआ था, को जबरदस्ती विक्रय का बताते हुए अपने साथ ले गया और उपरोक्त प्रकरण रंजिशवंश श्रीमान न्यायालय में पेश किया। असल बिल सलंग्न है। प्रार्थी रेस्टोरेन्ट का संचालन करता है जिसका राज्य सरकार से लाईसेन्स प्राप्त किया हुआ है जिसका नम्बर 12217024000354 है व प्रार्थी आमजन को भोजन उपलब्ध करवाता है ना कि प्रार्थी किसी प्रकार की कोई दुकान का संचालन करता है। अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकान्त गुप्ता अपनी पदीय शक्तियों का दुरूप्योग करता था जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश कमांक : निदे./खा सुरक्षा/2022/ 336 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा प्रमाणित माना कि गंभीर शिकायतें प्राप्त होने के कारण आपको प्रदत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां एतद्द्वारा प्रत्याहारित की जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मीकान्त गुप्ता को दिनांक 17.01.2014 को पुलिस हिरासत में रहने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित भी किया गया जिसके कारण उन्हें राज्य सरकार के आदेशों से भरतपुर जैसलमेर आदि जगहों पर सेवायें देनी पड़ी। लक्ष्मीकान्त गुप्ता उपरोक्त कार्यालय में एक लैब टैक्नीशियन के पद पर कार्यरत है जिनका आदेश अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांकः–ई–33/लैब./टैक्नी./नियु/95/891 दिनांक 18.09.1995 द्वारा की गई है। राज्य सरकार के आदेश सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 में अंकित किया गयाहै कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के भारसाधक के रूप में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो उपखण्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा जबकि उपरोक्त नामित व्यक्ति लक्ष्मीकांन्त गुप्ता केवल लैब टैक्नीशियन है जिसको प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट की रसोई में अनाधिकृत प्रवेश कर वहां पड़ा धनियां रंजिशवंश उठाकर उपरोक्त प्रकरण मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर झूठा दर्ज करवाया है। अतः प्रकरण खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Dhania Powder**"**Code No and Sr.No.. K-1249 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety and standards Act-2006 due to presence of Turmeric Starch.The sample is also Misbranded Food under section 3(i)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त रणजीत सिंह बिश्नोई को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रणजीत सिंह बिश्नोई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Dhania Powder**" खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर